

बिन्दु सं०- 05 :- आयोग द्वारा प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख:-

पंचायती राज विभाग/नगर विकास विभाग द्वारा बनाये गये अधिनियम एवं नियमावली विभागीय वेबसाईट [https:// sec.bihar.gov.in](https://sec.bihar.gov.in) पर उपलब्ध है।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की महत्वपूर्ण धारायें

| क्रमांक | धारा | विषय ग्राम पंचायत |
|---------|------|---|
| 1. | 11 | ग्राम पंचायत क्षेत्र की घोषणा |
| 2. | 12 | ग्राम पंचायत की संरचना |
| 3. | 13 | स्थान का आरक्षण |
| 4. | 14 | ग्राम पंचायत की अवधि |
| 5. | 15 | मुखिया एवं उप-मुखिया का निर्वाचन |
| 6. | 16 | मुखिया और उप-मुखिया की पदावधि |
| 7. | 17 | मुखिया और उप-मुखिया की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य |
| 8. | 18 | मुखिया और उप-मुखिया का त्याग-पत्र या हटाया जाना |
| 9. | 19 | ग्राम पंचायत के सदस्यों का त्याग-पत्र |
| | | पंचायत समिति |
| 10. | 34 | पंचायत समिति का गठन |
| 11. | 35 | प्रखण्डों की घोषणा |
| 12. | 36 | पंचायत समिति की संरचना |
| 13. | 37 | निर्वाचित सदस्य |
| 14. | 38 | स्थानों का आरक्षण |
| 15. | 39 | पंचायत समिति की कार्यावधि |

| क्रमांक | धारा | विषय |
|---------|------|--|
| 16. | 40 | प्रमुख, उप-प्रमुख का निर्वाचन |
| 17. | 41 | प्रमुख, उप-प्रमुख और अन्य सदस्यों को भत्ते |
| 18. | 42 | प्रमुख की शक्ति, कार्य और दायित्व |
| 19. | 43 | उप-प्रमुख के शक्तियां, कार्य और दायित्व |

जिला परिषद

| | | |
|-----|----|---|
| 20. | 62 | जिला परिषद् का गठन |
| 21. | 63 | जिला परिषद् की संरचना |
| 22. | 64 | निर्वाचित सदस्य |
| 23. | 65 | स्थानों का आरक्षण |
| 24. | 66 | जिला परिषद् की कार्यावधि |
| 25. | 67 | अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन |
| 26. | 68 | अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को भत्ते |
| 27. | 69 | अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्ति, कार्य तथा दायित्व |
| 28. | 70 | अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का त्यागपत्र अथवा हटाया जाना |

ग्राम कचहरी

| | | |
|-----|----|--|
| 29. | 90 | ग्राम कचहरी का गठन और सरपंच और पंचों का निर्वाचन |
| 30. | 91 | स्थान का आरक्षण |
| 31. | 92 | ग्राम कचहरी की अवधि |
| 32. | 93 | सरपंच और उप-सरपंच का निर्वाचन |
| 33. | 94 | ग्राम कचहरी की सहायता |
| 34. | 95 | सरपंच और उप-सरपंच की पदावधि |
| 35. | 96 | सरपंच और उप-सरपंच की शक्तियां और कार्य |

निर्वाचन

| | | |
|-----|-----|---|
| 36. | 123 | राज्य निर्वाचन आयोग |
| 37. | 124 | पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना |
| 38. | 125 | निर्वाचन के संचालन के लिए प्रशासनिक तन्त्र |
| 39. | 126 | पंचायत के निर्वाचक |
| 40. | 127 | जनगणना के पश्चात निर्वाचित सदस्यों का अवधारण |
| 41. | 128 | प्रेक्षक |
| 42. | 129 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) निर्वाची अधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी आदि को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त माना जाएगा |
| 43. | 130 | निर्वाचन अपराध |
| 44. | 131 | मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने की मंजूरी |
| 45. | 132 | मतदान के दिन शराब की बिक्री या वितरण नहीं किया जाएगा और न दिया जाएगा |

5788

| क्रमांक | धारा | विषय |
|---------|------|--|
| 46. | 133 | निर्वाचन व्यय का लेखा और उसकी अधिकतम राशि |
| 47. | 134 | निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अनर्हता |
| 48. | 135 | सदस्यता के लिये अर्हता |
| 49. | 136 | सदस्यता की निरर्हता |
| 50. | 137 | चुनाव याचिका |
| 51. | 138 | निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पर रोक इस अधिनियम में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी |
| 52. | 139 | निर्वाचन को रद्द घोषित करने के आधार |
| 53. | 140 | वैसे कारण जिनके चलते निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न अन्य कोई उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जा सकेगा |
| 54. | 141 | भ्रष्ट आचरण-इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित को भ्रष्ट आचरण में समझा जाएगा |
| 55. | 142 | भ्रष्ट आचरण के संबंध में आदेश |
| 56. | 143 | आदेशों की संसूचना |
| 57. | 144 | यदि कोई स्थान रिक्त हो जाए तो नया निर्वाचन |

बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के महत्वपूर्ण नियम

| क्रमांक | नियम | विषय |
|---------|------|---|
| 1. | 29 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला उप-निर्वाचन पदाधिकारी को पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट किया जाना |
| 2. | 30 | निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति |
| 3. | 31 | सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति |
| 4. | 32 | पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान पदाधिकारी की नियुक्ति |
| 5. | 36 | निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों का नियत किया जाना |
| 6. | 37 | नियम 36 के अधीन सूचना के प्रकाशन की रीति |
| 7. | 28 | कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की सेवायें उपलब्ध |
| 8. | 40 | नाम निर्देशन शुल्क |
| 9. | 45 | निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति तथा ऐसी नियुक्ति का प्रतिसंहरण या अभिकर्ता मृत्यु |
| 10. | 46 | मतदान अभिकर्ता मृत्यु |
| 11. | 48 | गणन अभिकर्ता की नियुक्ति |
| 12. | 41 | नाम निर्देशन प. की संवीक्षा |
| 13. | 52 | सविरोध निर्वाचन |
| 14. | 60 | मतदाताओं की पहचान |

क्रमांक नियम

विषय

| | | |
|-----|----|--------------------------------|
| 15. | 72 | मतों की गणना हेतु स्थान का चयन |
| 16. | 76 | मतों की गणना |
| 17. | 77 | मतगणना |
| 18. | 79 | मतों की पुनर्गणना |
| 19. | 80 | मत बराबर होना |
| 20. | 81 | परिणामों की घोषणा |
| 21. | 82 | निर्वाचन प्रमाण-पत्र |
| 22. | 83 | निर्वाचन परिणाम का प्रकाशन |

नगरपालिका निर्वाचन -

नगरपालिकाओं, यथा - नगर निगम (2 लाख की जनसंख्या से ऊपर), नगर परिषद (40,000 की जनसंख्या से ऊपर) एवं नगर पंचायत (12000 की जनसंख्या के ऊपर) के वार्ड पार्षदों का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा उनके मुख्य पार्षद/ उप मुख्य पार्षद का निर्वाचित वार्ड पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 में निहित प्रावधानों के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग के नियन्त्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण में वर्ष 2022 के पूर्व सम्पन्न कराये गये हैं। परन्तु राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 176 दिनांक 02.04.2022 द्वारा नगरपालिका के पार्षद पद के साथ-साथ उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद पद का निर्वाचन भी मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है एवं इस संबंध में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 तथा बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 यथानुरूप आवश्यक संशोधन भी किया गया है।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 12(2)(ख) तथा 12(2)(ग) और बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 29(2) से नियम 39 तक में नगरपालिकाओं की नगरपालिकावार पार्षदों के कुल पदों का आरक्षण 50 प्रतिशत अधिसीमा के अन्तर्गत किये जाने का प्रावधान है।

जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को उनके जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, पिछड़ा वर्ग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) को कुल पद का यथाशक्य 20 प्रतिशत तथा सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए यथाशक्य 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

इसी प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 29(1)(ख),(ग) एवं (घ) में कुल नगरपालिकाओं, यथा नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद के कुल पद पर पर आरक्षण 50 प्रतिशत अधिसीमा के अन्तर्गत करने का प्रावधान है।

जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को उनके जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, पिछड़ा वर्ग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) को यथाशक्य 20 प्रतिशत तथा सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए यथाशक्य 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

वर्ष 2022 में 248 नगरपालिका का आम निर्वाचन पार्षद के अतिरिक्त मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के पदों पर मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन सम्पन्न कराया जाना है। वर्तमान में नगरपालिका पदवार विवरणी निम्नवत् है :-

| नगरपालिकाओं का नाम | कुल नगरपालिकाओं की संख्या | वर्ष 2022 में कराये जाने वाला निर्वाचन |
|--------------------|---------------------------|--|
| 1. नगर निगम | - 19 | 19 |
| 2. नगर परिषद | - 88 | 83 |
| 3. नगर पंचायत | - 154 | 146 |
| कुल | 261 | 248 |

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 को निम्न लिंक पर अवलोकन किया जा सकता है :-

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 - <http://sec.bihar.gov.in/old-sec/download/AR-02-29-03-2007.pdf>

बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 - http://sec.bihar.gov.in/old-sec/download/N_Rules,%202007.pdf

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की महत्वपूर्ण धारायें

| क्रमांक | धारा | विषय |
|---------|------|--|
| 1. | 11 | नगरपालिका |
| 2. | 12 | नगरपालिका का गठन |
| 3. | 13 | नगरपालिका का गठन |
| 4. | 14 | पार्षदों का निर्वाचन |
| 5. | 15 | पार्षदों द्वारा लिया जाने वाला निष्ठा की शपथ |
| 6. | 16 | नगरपालिका पार्षदों का कार्यकाल |
| 7. | 16अ. | पार्षदों के शक्ति और कार्य |
| 8. | 17 | पार्षद की वापसी |
| 9. | 18 | अयोग्यता |
| 10. | 441 | नगरपालिका निर्वाचन की अधिसूचना |
| 11. | 442 | निर्वाचन की समाप्ति के लिए समय का विस्तार |
| 12. | 443 | निर्वाचन के संचालन के लिये प्रशासनिक तन्त्र |
| 13. | 444 | निर्वाचन कार्य हेतु कतिपय प्राधिकारियों के कर्मियों को उपलब्ध कराया जाना |
| 14. | 445 | अभ्यर्थियों के लिए कतिपय सूचनाएं देना आवश्यक |
| 15. | 446 | विनियम और नियमों के अंतर्गत ही अभ्यर्थी द्वारा सूचना प्रस्तुत करना |
| 16. | 447 | मिथ्या शपथ पत्र भरने के लिए शास्ति |
| 17. | 448 | निर्वाचन कार्य हेतु परिसर/वाहनों का अधिग्रहण |
| 18. | 449 | मत देने का अधिकार |

| क्रमांक | धारा | विषय |
|---------|------|--|
| 19. | 450 | निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने के लिए विशेष प्रक्रिया |
| 20. | 451 | नगरपालिका के निर्वाचक |
| 21. | 452 | प्रेक्षक |
| 22. | 453 | जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) निर्वाची अधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी आदि को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त माना जाएगा |

बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के महत्वपूर्ण नियम

| क्रमांक | नियम | विषय |
|---------|------|---|
| 1. | 3 | मतदाता के रूप में निबंध हेतु अर्हता |
| 2. | 4 | मतदाता सूची |
| 3. | 5 | निबंधन पदाधिकारी |
| 4. | 6 | मतदाता सूची की तैयारी एवं प्रकाशन हेतु अभिकरण |
| 5. | 7 | वार्ड की मतदाता सूची का उपविभाजन |
| 6. | 8 | मतदाता सूची का प्रपत्र |
| 7. | 9 | प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन |
| 8. | 10 | प्रारूप मतदाता सूची की मुद्रित प्रतियों की सर्वसाधारण के लिए बिक्री |
| 9. | 11 | रिभाईजिंग अथॉरिटी की नियुक्ति |
| 10. | 12 | दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने हेतु सूचना |
| 11. | 13 | दावों एवं आपत्तियों से संबंधित विशिष्टियां |
| 12. | 14 | सूची में नामों को सम्मिलित करने हेतु दावा |
| 13. | 15 | दावे एवं आपत्तियों की पंजी |
| 14. | 16 | दावे एवं आपत्तियों की सूचना |
| 15. | 17 | सूची में प्रविष्टि के प्रति आपत्ति |
| 16. | 18 | रिभाईजिंग अथॉरिटी द्वारा सूचना निर्गत करने की प्रक्रिया |
| 17. | 19 | निबंधन पदाधिकारी द्वारा दावों/ आपत्तियों का स्थानान्तरण |
| 18. | 20 | दावों एवं आपत्तियों की सूचना का प्रकाशन |
| 19. | 21 | रिभाईजिंग अथॉरिटी द्वारा दावों का निष्पादन |
| 20. | 22 | दावों एवं आपत्तियों के संबंध में रिभाईजिंग अथॉरिटी द्वारा जाँच |
| 21. | 23 | दावों एवं आपत्तियों के संबंध में रिभाईजिंग अथॉरिटी द्वारा जाँच |
| 22. | 24 | रिभाईजिंग अथॉरिटी स्वप्रेरणा से यथाप्रकाशित मतदाता सूची में किसी लिपिकीय भूल या अपूर्ण प्रविष्टि के संशोधन का आदेश दे सकेगा |
| 23. | 25 | निबंधन पदाधिकारी की शक्ति एवं कृत्य |
| 24. | 26 | मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन |
| 25. | 27 | विशिष्ट मामलों में अंतिम प्रकाशन के पश्चात् मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण |
| 26. | 28 | मतदाता सूची की तैयारी पर हुए व्यय का वहन नगरपालिका द्वारा किया जाएगा |
| 27. | 40 | पार्षदों के निर्वाचन की अधिसूचना |

| क्रमांक | नियम | विषय |
|---------|------|---|
| 28. | 41 | निर्वाचन की विशिष्टियों की सूचना |
| 29. | 42 | अभ्यर्थियों का नामांकन एवं फीस का निक्षेपण |
| 30. | 43 | नामांकन पत्र का प्रस्तुतीकरण एवं विधिमान्य नामांकन के लिए अपेक्षाएं |
| 31. | 44 | नामांकन एवं समीक्षा के समय और स्थान की सूचना |
| 32. | 45 | अभ्यर्थियों का नामांकन पत्रों के निरीक्षण की सुविधा देना |
| 33. | 46 | नामांकन पत्रों की संवीक्षा |
| 34. | 47 | निर्वाची पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा |
| 35. | 48 | विधिमान्य नामांकनों की सूची का प्रकाशन और अभ्यर्थितों की वापसी |
| 36. | 49 | निक्षेप (डिपोजिट) वापस नहीं किया जाएगा |
| 37. | 50 | निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की तैयारी एवं प्रकाशन |
| 38. | 51 | सविरोध और निर्विरोध निर्वाचनों में प्रक्रिया |
| 39. | 52 | मतदान के लिए समय नियत करना |
| 40. | 53 | मतदान केन्द्र एवं पीठासीन तथा मतदान पदाधिकारी |
| 41. | 54 | निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति और उसकी नियुक्ति का प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु |
| 42. | 55 | मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति |
| 43. | 56 | मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु |
| 44. | 57 | गणन अभिकर्ता की नियुक्ति |
| 45. | 58 | गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु |
| 46. | 59 | मतदान केन्द्र पर सूचना |
| 47. | 60 | मतदान की रीति |
| 48. | 61 | मतदान केन्द्र पर पीठासीन पदाधिकारी के कर्तव्य एवं अधिकार |
| 49. | 62 | मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व मतपेटिकाओं को बंद करना तथा उनपर सीन लगाना |
| 50. | 63 | मतदाताओं की पहचान |
| 51. | 64 | इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र पहचान का प्रमुख आधार होगा |
| 52. | 65 | मतदान केन्द्र में प्रवेश और उसे बंद करना |
| 53. | 66 | मतदान केन्द्रों में मतदान प्रकोष्ठ |
| 54. | 67 | मतदान केन्द्र पर मतपेटिका/ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं अन्य सामग्रियों को उपलब्ध किया जाना |
| 55. | 68 | मतपत्र |
| 56. | 69 | मतदान के पहले की प्रक्रिया |
| 57. | 70 | मतदान |
| 58. | 71 | दृष्टिहीन या निःशक्त मतदाताओं द्वारा मतदान |
| 59. | 72 | निविदत्त मत |
| 60. | 73 | आक्षेपित मत |
| 61. | 74 | खराब हुए और लौटाये गये मतपत्र तथा मतपेटियों के बाहर पाये गये मतपत्र |
| 62. | 75 | पीठासीन पदाधिकारी तथा मतदान पदाधिकारी एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं द्वारा मतदान का अभिलेखन किया जाना |

| क्रमांक | नियम | विषय |
|---------|------|--|
| 63. | 76 | नियम 75 के अधीन प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये गये व्यक्तियों को मतपत्र निर्गत किया जाना |
| 64. | 77 | मतदान के पश्चात् मतपेटियों का सीलबंद किया जाना |
| 65. | 78 | मतपत्र एवं पेपर सील का लेखा |
| 66. | 79 | मतों की गणना की सूचना |
| 67. | 80 | मतगणना के समय जो व्यक्ति उपस्थित रह सकते |
| 68. | 81 | मतों की गणना के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया |
| 69. | 82 | जिन आधारों पर मतपत्र नामंजूर किये जा सकेंगे |
| 70. | 83 | मतपत्रों आदि के लेखा का सत्यापन |
| 71. | 84 | परिणाम की घोषणा एवं निर्वाचन प्रमाण-पत्र दिया जाना |
| 72. | 85 | इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान कराये जाने की स्थिति में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया |
| 73. | 86 | परिणाम का प्रतिवेदन |
| 74. | 87 | निर्वाचित पार्श्वों के नामों का प्रकाशन |
| 75. | 88 | पैकेटों की अन्तर्वस्तु का निरीक्षण |
| 76. | 89 | पैकेटों का विनष्टीकरण |
| 77. | 90 | निर्वाचन कागजातों की अभिरक्षा एवं संरक्षण |
| 78. | 91 | नगरपालिका कर्मियों द्वारा निर्वाचन में प्रचार अथवा सहायता करना वर्जित |
| 79. | 92 | राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश |
| 80. | 98 | मतदान के पहले अभ्यर्थी की मृत्यु |
| 81. | 99 | आपात स्थिति में मतदान का स्थगन |
| 82. | 100 | अधिकतम निर्वाचन व्यय |
| 83. | 101 | निर्वाचन व्यय की विवरणी |
| 84. | 102 | चुनाव याचिका |
| 85. | 103 | चुनाव याचिका का प्रस्तुतीकरण |
| 86. | 104 | राहत का दावा किया जाना एवं इसके आधार |
| 87. | 105 | याचिका की अन्तर्वस्तु |
| 88. | 106 | याचिका के पक्षकार |
| 89. | 107 | कोर्ट फीस |
| 90. | 108 | चुनाव याचिका की वापसी |
| 91. | 109 | चुनाव याचिका का निष्पादन |
| 92. | 110 | चुनाव याचिका पर आदेश की प्रति उपलब्ध कराया जाना |
| 93. | 111 | चुनाव याचिका दायर करने हेतु अभिलेखों से संबंधित सूचना अथवा सत्यापित प्रति समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराया जाना |
| 94. | 112 | शपथ-ग्रहण |
| 95. | 113 | एक ही अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक स्थान से निर्वाचित होने की स्थिति में नगरपालिका में स्थान का रिक्त हो जाना |
| 96. | 114 | उप चुनाव |

अन्यान्य

बीच-बीच में ग्राम पंचायतों अथवा नगरपालिकाओं के विभिन्न कारणवश रिक्त हुये पदों पर उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जाते हैं।

साथ ही भारत के परिसिमन आयोग जिनके द्वारा राज्य के लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसिमन (क्षेत्र निर्धारण) का कार्य राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तीन सदस्यीय भारत परिसिमन आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त दो सदस्यों में एक सदस्य भारत निर्वाचन आयुक्त तथा दूसरे सदस्य राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं।